भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1098
मंगलवार, दिनांक 12 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का क्षमता सर्वेक्षण</u>

1098. श्री नीरज डांगीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषकर राजस्थान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बीते दो वर्षों व चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश में स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ग) देशों में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरी की जाने वाली वार्षिक आवश्यकता के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है, और इसे किस तरह पूर्ण किया जा रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, राजस्थान राज्य सहित देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए अनुमानित क्षमता इस प्रकार है:

अक्षय ऊर्जा स्रोत	अनुमानित संभाव्यता (मेगावाट)	
	राजस्थान	कुल
पवन (150 मीटर हब की ऊंचाई पर)	284250	1163855
लघु जल विद्युत	52	21134
बड़ी जल विद्युत	411	133410
सौर	142310	748990
जैव ऊर्जा	1300	42265
कुल	428323	2109654

भारत सरकार ने राजस्थान राज्य सहित देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक, वितरण कंपनियों सहित नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म संसाधनों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्धारित करना,

- बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु भूमि एवं पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी एवं पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी, ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई,
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरु किया गया,
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली अक्षय विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रैजेक्ट्री को अधिसूचित करना। इस ट्रैजेक्ट्री के तहत प्रति वर्ष 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बोलियाँ जारी की जाएंगी।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य सहित, देश में पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष में अनुमोदित योजना-वार परियोजनाओं की कुल संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

बड़ी ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं सामान्यत: निजी क्षेत्र के द्वारा टैरिफ तय करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए स्थापित की जाती हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

(ग) वर्ष 2022-23 के दौरान, अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा भारत का वार्षिक बिजली उत्पादन का प्रतिशत 22.5% था। क्षमता की दृष्टि से, दिनांक 31 अक्तूबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, भारत की 42.06% स्थापित अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है।

अनुलग्नक

'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का क्षमता सर्वेक्षण' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.12.2023 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1098 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राजस्थान राज्य सहित देश में पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत कुल परियोजनाएं

योजना	राजस्थान राज्य सहित देश में पिछले दो वर्षों में स्वीकृत कुल परियोजनाएं	राजस्थान में कुल परियोजनाएं
सौर पार्क	17,404 मेगावाट क्षमता के 16 सौर पार्क	4000 मेगावाट क्षमता के 3 सौर पार्क
पीएम-कुसुम	1066 मेगावाट क्षमता के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड माउंटेड सौर विद्युत संयंत्र	शून्य
सौर रूफटॉप	1599.8 मेगावाट (क्षमता की परियोजनाएं)	55 मेगावाट (क्षमता की परियोजनाएं)

*****